

15-1-2025

कील उद्योग द्वारा कार 05 निवाह अधिनियम
पर बकाय जूरी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार
दिया जाता है। बकाय मपील जूरी गई।
सर्वे निर्णय दिनांक 27-1-2025 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपारस जिला-चित्तौड़गढ़

27-1-2025

कील उद्योग द्वारा प्रार्थना में प्रस्तुत की विषय
इस प्रकार है कि अजीला-दख ने अपील
एस कायम की प्रकृत कि नाम पन्धमत हायमाना
के नकार 70 निर्णय दिनांक 20-10-2003 में निर्णित
पर हुकूम गौबल के पारिल रिकॉर्डेंट केव्य

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामीन
में जारी हुए

1 व 2 के नाम पर किया गया। पत्रों
 मूलतः गौतम के परिसरों में अपील करने पर
 देखते हैं कि 1 व 2 के नाम पर अपील
 एचिमाना काय उचित विधि प्रक्रिया अपनाने
 बिना नामान्तरण निमित्त कहे के मालिकाना
 की है जो निरस्त होगी। अन्त में
 निवेदन किया कि नाम पत्रों पर विचार 01-11-2003
 निमित्त 11-10-2003 निर्णय दिनांक 20-10-2003
 को विस्तार किया जाए व अपील पर अपील को
 आदेशित कर मूलतः गौतम पिता देवरी का
 पुत्र : नामान्तरण विधि पूर्ण करने का आदेश
 प्रदान किया जावे। हमने समस्त प्रवासी
 वस्तुतः धरती के नाम अपील किया कि जो
 पहल पर अन्त किया। प्रार्थना। अपील करने
 का निवेदन ज्वीकर किया जाना आमदित
 में उचित तरीका होता है। अन्त : नाम पत्रों पर
 एचिमाना के नामान्तरण के लिए 20 निर्णय दिनांक
 20-10-2003 को विस्तार किया जाता है। व
 अपील व अपील पर अपील को हम काम में
 रिपोर्ट कि जाती है कि मूलतः गौतम पिता देवरी
 पत्नी के परिसरों में पावे कर उचित पुनर्वा
 कि पाकर पुत्र : नामान्तरण विधिसंगत
 निमित्त किया जावे। प्रवासी केवल ज्वीकर होकर
 अन्त में ही आदेश प्रदान किया।

सहायक कलेक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 काशीपुर जिला-चित्तौड़गढ़